रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 821] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 9, 2003/भाद्र 18, 1925
No. 821] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 9, 2003/BHADRA 18, 1925

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2003

का.आ. 1035(अ).— केन्द्रीय सरकार ने निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ताजी, हिमशीतित और प्रसंस्कृत मछली और मछली उत्पादों से संबंधित भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं0 का.आ.729 (अ) तारीख 21 अगस्त, 1995 का नीचे विनिर्दिष्ट रीती में संशोधन करने के लिए मछली तथा मछली उत्पादों में अधिकतम अवशेष सीमाओं (एमआरएल) प्रतिजैविकी और अन्य भेषजीय रूप से क्रियात्मक पदार्थों से संबंधित प्रस्ताव विरचित किए हैं, और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् को अग्रेषित किया गया है ।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त नियम के अनुसरण में उक्त प्रारूप प्रस्तावों को ऐसी जनता की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित करती है ;

सूचना दी जाती है कि कोई व्यक्ति, जो उक्त प्रस्तावों के संबध में आक्षेप या सुझाव अग्रेषित करना चाहता है, वह उन्हें उक्त प्रारूप आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, तीस

दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद्, तीसरी मंजिल, नई दिल्ली वाई एम सी ए कल्चरल सैन्टर बिल्डिंग, 1, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001 को अग्रेषित कर सकेगा ।

प्रस्ताव

केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् ताजी, हिमशीतित और प्रसंस्कृत मछली और मछली उत्पादों से संबंधित भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं0 का.आ.729 (अ) तारीख 21 अगस्त, 1995 में मछली और मछली उत्पादों में अधिकतम अवशेष सीमाओं (एमआरएल) के लिए प्रतिजैविकी और भेषजीय रूप से अन्य क्रियात्मक पदार्थों के संबंध में निम्नलिखित संशोधन करती है जो राजपत्र में अन्तिम प्रस्तावों के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :-

उक्त आदेश में, पैरा (ज) के पश्चात् निम्नलिखित अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(झ) झींगी, झींगा या मछली की किसी अन्य किस्म और मछली उत्पादन के पूर्व प्रसंस्करण या प्रसंस्करण की किसी इकाई में या उनके खाद्य का विनिर्माण करने वाली किसी इकाई में या जूविनाइल या लार्वा या नौपली के उत्पादन के लिए किसी संवर्धन या किसी अंडज उत्पत्तिशाला में निम्नलिखित पदार्थ जिनका प्रतिजैविकी प्रभाव है, अप्राधिकृत पदार्थ अर्थात् पशु चिकित्सा ओषधि और संदूषकों और अन्य पर्यावरणीय संदूषकों में से किसी का उपयोग प्रतिषिद्ध होगा ।

(i) पदार्थ जिनका प्रतिजैविकी प्रभाव है और अप्राधिकृत पदार्थ अर्थात् :-

(क) स्टीलबैनस, स्टीलबैनस डेरीवेटिवस् और उनके लवण और ईस्टर्स,

(ख) स्टीरोइड्स,

(ii) पशु चिकित्सा ओषधि और संदूषक पदार्थ अर्थात्,

(क) प्रतिजीवाणुक पदार्थ क्यूनोलोन्स सहित,

(ख) एनथेलमिन्टिक्स,

(iii) अन्य पदार्थ और पर्यावरणीय संदूषक अर्थात् :-

(क) आरगेनोक्लोरीन कम्पाउंड पीसी बी एस सहित,

(ख) मायोटोक्सीनस,

(ग) डाईज,

परन्तु क्रम सं0 (i)(ख), (ii) (क), और (ii) (ख) की मदों का चिकित्सीय या प्राणि तकनीकी के प्रयोजन के लिए उपयोग हो तो पशु चिकित्सा सर्जन या मत्स्य वैज्ञानिकों द्वारा प्राधिकृत किया जा सकेगा ।

[फा. सं. 6/2/2001-ईआई एण्ड ईपी]

एम.वि.पि.सि. शास्त्री, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— मूल आदेश का.आ.729 तारीख 21 अगस्त, 1995 द्वारा प्रकाशित किया गया और जिसे बाद में का.आ.792(अ)स तारीख 17 अगस्त, 2001, का.आ.722(अ) तारीख 10 जुलाई, 2002 और का.आ.464(अ) तारीख 24 अप्रैल, 2003 द्वारा संशोधित किया गया ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 9th September, 2003

S.O. 1035(E).— In exercise of the powers conferred by section 6of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government has formulated certain proposal for amending the Order No. SO 729(E) dated 21st August 1995, of erstwhile Ministry of Commerce, Government of India, relating to fresh, frozen and processed fish and fishery products relating to maximum residual limits (MRLs) in respect of antibiotics and other pharmacologically active substances in fish and fishery products in the manner specified below for the development of export trade of India and has forwarded the same to Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government hereby publishes the said draft proposal for the information of the public likely to be affected thereby;

Notice is hereby given that any person desiring to forward any objection or suggestion with respect to the said proposals may forward the same within thirty days from the date of publication of the said draft Order in the Official Gazette, to the Export Inspection Council, 3rd Floor, New Delhi YMCA Cultural Centre Building, 1, Jai Singh Road, New Delhi-110001.

PROPOSAL

In exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government after consulting Export Inspection Council, hereby makes the following amendments to the Order No. SO 729(E) dated 21st August 1995 of erstwhile Ministry of Commerce, Government of India, relating to maximum residual limits (MRLs) in respect of antibiotics and other pharmacologically active substances in fresh, frozen and processed fish and fishery products, which shall take effect on the date of the publication of the final proposals in the officials Gazette, namely: -

In the said Order, after clause (g), the following shall be inserted, namely:-

"(h) the use of any of the following substances having anabolic effect and unauthorised substances, namely,- veterinary drugs and contaminants and other environmental contaminants shall be prohibited in the culture of; or in any hatchery for producing the juveniles or larvae or nauplii of; or any unit manufacturing feed for; or in any unit pre-processing or processing shrimp, prawns or any other variety of fish and fishery products:

(i) Substances having anabolic effect and unauthorised substances namely :—

(a) Stilbenes, stilbene derivatives, and their salts and esters
(b) Steroids

(ii) Veterinary drugs and contaminants namely:-

(a) Antibacterial substances, including quinolones
(b) Anthelmintics

(iii) Other substances and environmental contaminants namely:-

(a) Organochlorine compounds including PcBs
(b) Mycotoxins
(c) Dyes

Provided that the use of items at Sl.No (i)b), (ii)(a) and (ii)(b) for therapeutic or zoo-technical purposes may be authorised by qualified Veterinary Surgeons or Fisheries Scientists.

[F. No. 6/2/2001-EI & EP]

M. V. P. C. SASTRY, Jt. Secy.

Note :— The Principal Order was published vide S.O.729 (E) dated 21st August, 1995 and subsequently amended vide S.O.792(E) dated 17th August 2001, S.O.722(E) dated 10th July, 2002 and S.O.464(E) dated 24th April, 2003

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.